न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 65/2021 – निगरानी

1. शंकर पुत्र धन्ना जाट निवासी किशनगढ तेहसील कोटड़ी

बनाम

1. सजनी पत्नी श्रीराम जाट निवासी रलायता तहसील माण्डलगढ
2. उदयलाल पुत्र श्रीराम जाट निवासी रलायता तहसील माण्डलगढ
3. सांवरलाल पुत्र श्रीराम जाट निवासी रलायता तहसील माण्डलगढ
4. रूक्मा देवी पुत्री श्रीराम जाट निवासी रलायता तहसील माण्डलगढ
5. सोहनी पुत्री श्रीराम जाट निवासी रलायता तहसील माण्डलगढ
6. ग्राम पंचायतथलकलां, तहसील माण्डलगढ

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा–97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत थलकला,तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा द्वारा जारी पट्टा कमांक 09 द्वारा पत्रावली संख्या 10/2035 दिनांक 28/07/1978

उपस्थित –

1. श्री भोपाल लाल गुर्जर अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री रामपाल शर्मा अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 1 से 5 की ओर से

निर्णय

दिनांक 28.05.2025

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत थलकलां द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पति व 2 से 5 के पिता के नाम से जो पट्टा जारी किया गया, उस पट्टे को जारी करने से पूर्व प्रार्थना पत्र लेकर ग्राम पंचायत द्वारा पत्रावली कायम कर मौका रिपोर्ट मंगवाई जानी चाहिए थी। साथ ही आवेदन पेश करने के साथ नियमानुसार शुल्क भी वसूल किया जाना था, जो जमा नहीं कराया गया। इसके अतिरिक्त बिना कोई जांच किए बिना कमेटी गठित किए बिना ही पंचायती राज नियमों की पालना किए उक्त विवादित पट्टा जारी किया गया जो निरस्तनीय है। निगराकार ने इस पट्टे की पत्रावली की नकल मांगी तो ग्राम पंचायत ने इस पट्टे की पत्रावली से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं होना लिखा। जिस पर निगराकार ने तथाकथित फर्जी पट्टे की फोटोप्रति को इसका आधार बनाकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

विवादित पट्टेशुदा भूखण्ड निगराकार का होकर निगराकार के आधिपत्य का है तथा उसका पट्टा विधिवत रूप से, नंदा पिता बालू जाट द्वारा पंचायत में भूखण्ड पट्टे हेतु आवेदन करने, नियमानुसार शुल्क जमा कराने व पंचायतीराज नियमों की सारी कानूनी प्रकिया की पालना करने पर पंचायत द्वारा नंदा पिता बालू के नाम जरिए मिसल नम्बर 13 संवत 2035 दिनांक 29.07.78 को पट्टा दिए जाने का आदेश दिया जाकर पट्टा संख्या 13 दिनांक 21.12.1979 नपती 140 बाई 100 फिट का जारी किया गया था। नन्दा पिता बालू ने उक्त भूखण्ड को निगराकार के पिता धन्ना पिता गोकल को दिनांक 09.01.1992 को विक्रय कर दिया, तभी से कब्जा निगराकार के पिता के जीवनकाल से ही काबिज होकर उसका उपयोग बतौर मालिक करते आ रहे हैं। वर्तमान में भी निगराकार का उक्त भूखण्ड पर बतौर मालिक आधिपत्य होकर भुगतभोग में है। गैर निगराकार के पिता रामजी ने गलत एवं फर्जी पट्टा तैयार किया/करवाया है। यदि पंचायत द्वारा नियमानुसार उक्त पट्टा जारी किया होता, तो संबंधित पत्रावली अवश्य मिलती, जिससे साबित होता है कि फर्जी पट्टे की आड में निगराकार का भूखण्ड को जबरन हथियाना चाहते हैं। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत थलकलां तहसील माण्डलगढ द्वारा गैर निगराकार 1 के पति व गैर निगराकार संख्या 2 से 5 के पिता श्रीराम पिता प्रताप जाट के नाम से जारी तथाकथित पट्टा संख्या 9 जरिए मिसल संख्या 10/2035 दिनांक 28/07/1978 निरस्त किए जाने का आदेश फरमाए।

प्रस्तुत निगरानी न्यायालय में दायर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 से 05 की ओर से जवाब पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलब किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि ग्राम पंचायत थलकलां द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पति व 2 से 5 के पिता के नाम से जो पट्टा जारी किया गया, उस पट्टे को जारी करने से पूर्व प्रार्थना पत्र लेकर ग्राम पंचायत द्वारा पत्रावली कायम कर मौका रिपोर्ट मंगवाई जानी चाहिए थी। साथ ही आवेदन पेश करने के साथ नियमानुसार शुल्क भी वसूल किया जाना था, जो जमा नहीं कराया गया। इसके अतिरिक्त बिना कोई जांच किए बिना कमेटी गठित किए बिना ही पंचायती राज नियमों की पालना किए उक्त विवादित पट्टा जारी किया गया जो निरस्तनीय है। यदि पंचायत द्वारा नियमानुसार उक्त पट्टा जारी किया होता, तो संबंधित पत्रावली अवश्य मिलती, जिससे साबित होता है, कि फर्जी पट्टे की आड में निगराकार

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

निगराकार ने स्वयं के पटटे के संदर्भ में ग्राम पंचायत की केश बुक की प्रमाणित पेश की। जिसमें नन्दा पिता बालू जाट द्वारा पटटा शुल्क जमा कराया जाना सिद्ध हो रहा हैं। नन्दा पिता बालू जाट के द्वारा पटटा शुल्क जमा कराये जाने के संदर्भ में एवं केश बुक के संदर्भ में गैर निगराकार द्वारा खण्डन स्वरूप कोई साक्ष्य/दस्तावेजात पेश नही किये गये।

गैर निगराकार संख्या 01 से 05 का कथन कि, प्रश्नगत पट्टा भूमि पर गैर निगराकार का कब्जा हैं एवं निरंतर चला आ रहा हैं, किन्तु गैर निगराकार ने इस बाबत् कोई प्रमाणिक साक्ष्य/दस्तावेजात पेश नही किये हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार निगराकार द्वारा जो प्रश्नगत पटटे की फोटोप्रति निगरानी के साथ पेश की हैं, एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटटा पत्रावली कमांक 10/2035 दिनांक 28.07.1978 की मूल मिसल प्रेषित की गयी हैं, उन दोनों के परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि प्रश्नगत पटटा गैर निगराकार संख्या 01 के पति एवं गैर निगराकार संख्या 02 से 05 के पिता के नाम पर जारी किया जाना प्रतीत नही होता हैं। निगराकार संख्या 01 के पति एवं गैर निगराकार संख्या 02 से 05 के पिता श्रीराम जाट को विधि विरूद्व तरीके से जो प्रश्नगत पट्टा जारी किया गया, वह प्रारम्भ से ही शून्य होने से खारिज होने योग्य ठहरता हैं एवं विधि विपरीत पट्टे को खारिज किया जाना न्यायहित व राज्य हित में है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती हैं। गैर निगराकार संख्या 01 के पति एवं गैर निगराकार संख्या 02 से 05 के पिता श्रीराम पिता प्रताप जाट के नाम से जारी तथाकथित पटटा सख्या 09 जरिये मिसल संख्या 10/2035 दिनांक 28.07.1978 को निरस्त किया जाता हैं। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड ग्राम विकास अधिकारी थलकलां, पंचायत समिति माण्डलगढ, जिला भीलवाडा को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश मेहरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाडा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा